

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 20.12.2025

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह थाना शाहपुर के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 536/2024 धारा 419,420,467,468,471,504,506,120 बी भा0दवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुधीर कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 रामनगीना मिश्रा निवासी कीरतपुर कोलड़ा थाना कोतवाली रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड स्थाई पता ग्राम सोनकरा थाना असाव जिला सिवान बिहार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लिया गया तथा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुधीर कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 रामनगीना मिश्रा निवासी कीरतपुर कोलड़ा थाना कोतवाली रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड स्थाई पता ग्राम सोनकरा थाना असाव जिला सिवान बिहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 536/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी,504,506 भा0द0वि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 साहब सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 सुनील कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर